

23/3/26 पत्रावली पेश। कलाम काचिकका उप।
अपार्थ काचिकका ने माननीय राज उच्च
न्यायालय के आदेश की पालना में
माननीय न्यायालय द्वारा तब तक तीन छत्रों
पर स्थगन है उस पर पश्चात्स्थिति बनाए
रहेगी। इस आधार पर उक्त पार्थक्य
पर आगे चलाने जाने का आदेश नहीं
है पत्रावली फेरल शुमार होकर दाखिल
कर दी है P.F